अति महत्वपूर्ण/समयबद्
संख्या- 34/2015/ 1362 /35-3-2015-1(54)/2015

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 15 अक्टूबर, 2015**

विषय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटाबेस को अद्यतन करने एवं एनपीआर बुकलेटस व अन्य सामग्री के मुद्रण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र-5 संख्या-9/41/2015-सीआरडी(एनपीआर) दिनांक 16.09.2015 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए यह अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटाबेस को अद्यतन करने एवं एनपीआर डेटाबेस में आधार नम्बर सीडिंग का कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रश्नगत कार्य उत्तर प्रदेश राज्य में 16 नवम्बर,2015 से 15 दिसम्बर,2015 के मध्य एक माह की अवधि में कराने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने हेतु प्रगणक द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित कार्य प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक प्रगणक को उसके प्रगणना ब्लाक का डेटाबेस एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र राज्य स्तर पर अथवा जिला स्तर पर राजकीय प्रेस से अथवा प्राइवेट प्रेस से मुद्रित करवाकर उपलब्ध करवाया जाना है। इस कार्य हेतु 16 मई से 31 जून,2010 में एकत्र किये गये एनपीआर डाटा का प्रयोग किया जायेगा। यह डाटा राज्य/जिला/ तहसील/ग्राम/नगर/वार्ड/प्रगणना ब्लाकवार संकलित कर पी0डी0एफ0 फाइल के रूप में एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किया गया है। इन्हीं पी0डी0एफ0 फाइलों को मुद्रित कराकर प्रगणकों को एनपीआर बुकलेट के रूप में प्रदान किया जाना है। एनपीआर बुकलेट के मुद्रण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के परिपत्र-5 संख्या-9/41/2015-2015-सीआरडी(एनपीआर) दिनांक 16.09.2015 में अंकित है। जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त पी0डी0एफ0 फाइलों की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ को भेजते हुए उन्हें एक पोर्टल बनाकर इन पी0डी0एफ0 फइलों को अपलोड कर समस्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध कराने की कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के परिपत्र संख्या-5, दिनांक 16.09.2015 के प्रस्तर-8 में निहित निर्देशानुसार पी0डी0एफ0 फाइलों का मुद्रण राजकीय प्रेस अथवा प्राइवेट प्रेस से किया जा सकता है। अतएव आप कृपया अपने जनपद में स्थापित एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर पी0डी0एफ0 फाइलों का मुद्रण तथा स्पाइरल बाइडिंग का कार्य कोडल प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र कराने का कष्ट करें। मुद्रण हेतु धन आवंटन का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या: **34/2015**/1362(1)/35-3-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अतिरिक्त महारजिस्ट्रार जनरल, नागरिकता पंजीकरण,गृह मंत्रालय, 2-ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), उत्तर प्रदेश, योजना भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, उलखऊ।
5- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6- संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।